ARYAVART SHODH VIKASH PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBBIL04292
RNI REG. NO. UPBBIL/2014/66218 PP. NO.- 97-100
ISSN NO.-2347-2944
Vol.-8, No.-II, Issues-IX YEAR- Dec-2017

सामाजिक संवेदना और मानवाधिकार के प्रणेता डॉ. अम्बेडकर

डॉ. संजय अग्रवाल
एसोसिऐट प्रोफेसर–अर्थशास्त्र विभाग, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, बाराबंकी (उ0प्र0) भारत

बाबा साहब अम्बेडकर न केवल युग पुरूष थे बल्कि नवयुग के प्रवर्तक पुरूष थे। उन्होंने भारतीय समाज को खोखला कर रही कुरीतियों, छुआ–छूत, जाति–पाँति, नारी का असम्मान, मानवीय अधिकारों का हनन आदि सामाजिक पाप के विरूद्ध बिगुल बजाया और अछूत शब्द को भारतीय समाज से सर्वदा के लिए बहिष्कृत कर दिया साथ ही अछूत कहे जाने वाले लोगों को भारतीय समाज में समानता का दर्जा दिलाया। एक महान अर्थविद् होने बावजूद उन्होंने अपने जीवनकाल में शुद्ध आर्थिक क्रान्ति से कहीं ज्यादा मानवीय मूल्यों के उत्थान के लिए सामाजिक परिवर्तन और मानव अधिकारों को अधिक महत्व दिया।

मानवाधिकार एक बहुत ही प्राचीन अवधारणा है। 13वीं सदी में ब्रिटेन के राजा और सामन्तों के मध्य मैग्नाकार्टा नामक एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटेन के सामंतों व जनता के विशेषाधिकारों की रक्षा करना था। 1689 में हुई ब्रिटेन क्रान्ति ने इसका और विस्तार किया। 1789 में फ्रांस की क्रान्ति के बाद क्रान्तिकारियों ने मनुष्य के अधिकारों से सम्बन्धित एक घोषणा पत्र तैयार किया जिसमें कहा गया कि मनुष्य स्वतन्त्र जन्म लेते हैं, स्वतन्त्र रहते हैं ओर उनके अधिकार बराबर हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकारों को क्रियान्वित करने के लिए मुख्यतः जनरल असेम्बली व आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ने फरवरी, 1946 में मानवाधिकार आयोग की स्थापना का निर्णय लिया। मानवाधिकार आयोग ने जनरल असेम्बली में एक मानवाधिकार बिल प्रस्तुत किया लेकिन इसे तत्काल स्वीकार नहीं किया गया। सितम्बर, 1948 में आयोग ने मानवाधिकार घोषणा पत्र का एक परिवर्तित प्रारूप मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (यूनिवर्सल डिम्लेरेशन आफ ह्यूमन राइटस) संयुक्त राष्ट्र महासभा को सौंपा। महासभा ने उसी वर्ष 10 दिसम्बर, 1948 को मानवाधिकारों के विश्व घोषणापत्र को स्वीकार कर लिया और इसके साथ ही मानवाधिकारों का संहिताबद्ध दस्तावेज अस्तित्व में आ गया।

भारत में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम मानवाधिकार संगठन लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पहल और प्रेरणा से 1975 में बना। इसका नाम पीपुल्स यूनियन फार लिबर्टीज एवं डेमोक्रेटिक राइटस रखा गया। आपातकाल के समय उसके विरूद्ध संघर्ष में इस संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका रही परन्तु आपातकाल की समाप्ति के साथ यह संगठन निष्क्रिय हो गया। इसके बाद देश में कई और मानवाधिकार संगठन बने जो आज भी सक्रिय हैं।

मानवाधिकार की धारणा वास्तव में मानवीय सभ्यता एवं समानता का आधार है। वैसे तो अनेक स्थापित एवं मान्य मानवाधिकार हैं, परन्तु यदि इन सभी मानवाधिकारों को संक्षेप में देखना हो तो इसे मुख्य रूप से दो भागों में बाँट कर देखा जा सकता है।

प्रथम– जीवित रहने का अधिकार

दूसरा– गरिमा के साथ जीवन व्यतीत करने का अधिकार

अधिकतर विचारकों, समाज सुधारकों आदि ने तो प्रथम मानवाधिकार को पर्याप्त महत्व दिया है, और उसकी रक्षा के लिए कानून भी बनाये गये, परन्तु गरिमा के साथ जीवन व्यतीत करने के मानवाधिकार को प्रतिपादित करने एवं उसे प्रतिस्थापित करने में वर्तमान युग में डा. अम्बेडकर ने जो भूमिका निभाई है वह अद्वितीय है।

मानवाधिकार का तात्पर्य किसी सभ्य समाज में रहने वाले व्यक्ति को प्राप्त वे मौलिक अधिकार हैं जिनसे कि उसके प्राण, उसकी स्वतन्त्रता, समानता तथा उसकी गरिमा को अक्षुण्ण रखा जाये। इन्हीं से जुड़े अधिकारों को मानवाधिकार कहा गया है। अर्थात् मानवाधिकार का सम्बन्ध उन सहज अधिकारों से है जो प्रत्येक मनुष्य को केवल मनुष्य होने के नाते, बिना किसी भेदभाव के बिना किसी अन्य योग्यता के मिलने चाहिए जिनको पाने और उपभोग करने का वह अधिकारी है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा (घ) के अनुसार मानव अधिकारों से आशय संविधान द्वारा प्रत्याभूत अथवा अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं में अन्तर्निहित उन अधिकारों से है जो जीवन की स्वतन्त्रता, समानता एवं प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा से सम्बन्धित तथा भारत के न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है।

मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा के पीछे निम्न सिद्धान्त निहित हैं :–

1. सभी मनुष्य प्रतिष्ठा एवं अधिकारों की दृष्टि से स्वतन्त्र एवं समान है।
2. प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह किसी भी जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, समुदाय, राजनीतिक या अन्य किसी विचारधारा

अनुरूपी लेखक

का क्यों न हो, घोषणा में वर्णित सभी अधिकारों तथा स्वतन्त्रताओं का बिना किसी भेदभाव के अधिकारी होगा।

3. प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वाधीनता तथा दैहिक सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है।
4. प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि उसे विधि (कानून) के समक्ष सर्वत्र व्यक्त करने की मान्यता दी जाय।
5. सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि से समान हैं और उन्हें कानूनी संरक्षण का समान अधिकार है।
6. प्रत्येक व्यक्ति को संविधान या विधि द्वारा प्राप्त अपने मूल अधिकारों के अतिक्रमण के विरूद्ध न्यायालय द्वारा प्रभावी उपचार का अधिकार।
7. किसी भी व्यक्ति के मान मर्यादा तथा प्रतिष्ठा पर मनमाने तौर पर आघात नहीं किया जायेगा।
8. प्रत्येक व्यक्ति को विचार करने तथा धर्म की स्वतन्त्रता का अधिकार प्राप्त है।
9. किसी भी व्यक्ति को मनमाने तौर पर गिरतार या देश से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

भारत में मानवाधिकारों के सम्मान की संस्कृति अभी विकसित नहीं हो पायी है, न ही इसके लिए उपयुक्त सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमियामाजिक व्यवस्था समाज में जन्म से ही लोगों का दर्जा एवं सामाजिक परिपाटी में उसके कर्तव्य तय कर देती है। जाति के आधार पर ऊँच–नीच की मान्यता आज भी व्याप्त असमानता एवं मानवाधिकारों के उल्लंघन का सबसे बड़ा कारण है।

भारत में मानवाधिकार उल्लंघन का दूसरा महत्वपूर्ण कारण आर्थिक संरचना, पूंजी एवं संसाधनों का कुछ हाथों में केन्द्रीकरण है, इसके अलावा सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप में स्त्रियां जिस तरह पुरुषों के अधीन है, उससे भी उनके मानवाधिकारों का खुले तौर पर उल्लंघन होता है। डा. अम्बेडकर ऐसे महापुरूष थे जिन्होंने मानवाधिकारों के हनन के प्रति सबसे पहले इतनी दृढ़ता के साथ आवाज उठाई, उन्होंने एक ऐसा धर्म और सामाजिक व्यवस्था दी जिसमें सभी मनुष्य बराबर समझे जाय, सबको मानवोचित अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त हों।

वास्तव में स्वतन्त्रता आन्दोलन के अन्तिम चरण में ही भारत में मानवाधिकारों को स्थापित करने के लिए वास्तविक संघर्ष हुए। इस दौरान मानवाधिकार के प्रबल समर्थक गांधीजी और डा. भीमराव अम्बेडकर के अलावा रवीन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जयप्रकाश नारायण, डा. राममनोहर लोहिया आदि रहे हैं। डा. अम्बेडकर ने तो वर्तमान में मानवाधिकारों की एक अहम लड़ाई लड़ी, उनके मानवाधिकारों की कल्पना मानवतावादी चिन्तन से ओत–प्रोत है।

उन्हीं के विशेष प्रयास से भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया। इन नीति निर्देशक तत्वों में प्रायः उन सभी मौलिक अधिकारों और स्वतन्त्रताओं को सम्मिलित कर दिया गया जिन्हें संवैधानिक मौलिक अधिकारों का स्तर प्रदान नहीं किया जा सकता है। जैसे–काम का अधिकार, रोजी रोटी का अधिकार, समान विधि संहिता, शिक्षा का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, बच्चों के लिए स्वतन्त्रता एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आदि जो एक सुखी समृद्ध और सुसंस्कृत समाज के लिए आवश्यक है। डा. अम्बेडकर भाषण में नहीं कार्यों में विश्वास करते थे। उन्होंने मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए संविधान में तो व्यवस्था की ही थी, परन्तु इन सिद्धान्तों की स्थापना के लिए जीवन पर्यन्त संघर्ष भी किया। जैसे 1927 में महाड़ सत्याग्रह के दौरान अछूतों को अपने अधिकारों का बोध कराने की दृष्टि से चोबदार तालाब का प्रयोग अपने नेतृत्व में कराया। 25 दिसमबर, 1927 का दिन भी सदैव अविस्मरणीय रहेगा इस दिन उन्होंने असमानता दमन तथा अन्याय पर आधारित 'मनुस्मृति' की होली जलवायी तथा सन् 1930 में उसी विद्रोही बाने को अपनाये हुए उन्होंने मन्दिरों पर सवर्णों के एकाधिकार को चुनौती दे डाली। उन्होंने नासिक मन्दिर के लिए अभियान छेड़ा और कालाराम मन्दिर में प्रवेश व पूजा करने का व्रत ले लिया।

महिला वर्ग को मानवाधिकार दिलाने के लिए भी बाबा साहब ने जीवन भर संघर्ष किया और अन्त में जब वे विधिमंत्री के रूप में महिलाओं को उनके मौलिक अधिकार दिलाने वाले कानून को पास कराने में सफल न हो सकते तो उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया।

डा. अम्बेडकर ने अपने जीवन काल में दलितों, महिलाओं तथा पिछड़ों के सम्बन्ध में जिन मौलिक अधिकारों एवं मानवाधिकारों की चर्चा की है, उनमें से कुछ निम्न हैं :–

1. दलितों की जमीनों पर सबल द्वारा किये गये कब्जों को हटाया जाए तथा फालतू जमीन का अलाटमेंट दलितों के लिए किया जाए।
2. दलितों को रोजगार के समान अवसर प्रदान किये जाए।
3. हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार हो तथा निर्धन विद्यार्थियों को सभी सुविधाएं दी जाए।
4. होटलों, नाइयों की दुकानों पर भेदभाव की नीति समाप्त की जाए।

5. कुएँ, हैण्डपम्प, तालाब आदि सार्वजनिक जल स्रोतों पर बिना भेद– भाव के पानी पीने के अधिकार को सुनिश्चित किया जाए।
6. संविधान में दिये गये प्रावधानों के अनुसार आरक्षण सुविधा उपलब्ध करायी जाए।
7. भूमण्डलीकरण, निजीकरण एवं उदारीकरण की नीति से उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी पर नियन्त्रण किया जाए।
8. पुलिस और न्यायपालिका के पक्षपातपूर्ण व्यवहारों पर अंकुश लगाया जाए तथा कार्यपालिका में बढ़ते जातिगत भेदभाव को समाप्त किया जाए।
9. राज्य को सभी धार्मिक आयोजनों से दूर रहना चाहिए और साम्प्रदायिकता बढ़ाने वालों पर अंकुश लगाया जाए।
10. अत्याचार निवारण कानूनों एवं नियमों को कठोरता से लागू किया जाए। संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित करके दलित स्त्री–पुरूषों और निर्धन लोगों के बचाव के लिए विशेष प्रशासनिक प्रबन्ध किये जायें।

दशकों पूर्व बाबा साहब ने मानवाधिकारों के हनन के प्रति भारतीय समाज तथा सरकारी प्रशासन को चेताया था कि यदि देश व राष्ट्र को संगठित और शक्तिशाली बनाना है तो सभी नागरिकों को आगे बढ़ने के समान अवसर दिये जाएं। जातिगत भेदभाव, छुआछूत, ऊँच–नीच की भावना, शूद्र व दलितों को शिक्षा का अधिकार न देना, महिलाओं को घर की चाहरदीवारों तक सीमित रखना, पुत्रियों को माता–पिता की सम्पत्ति से वंचित रखना, बाल विवाह, सतीप्रथा, बँधुआ मजदूरी, बेगारी आदि ऐसे मुद्दे हैं जो मानवाधिकार की परिधि में ही आते हैं। भारतीय संविधान में भी मानवाधिकारों के अभिवर्धन व संरक्षण के सम्बन्ध में अनेक बातों का समावेश है जैसे–

1. मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 : इस अधिनियम में मानवाधिकार के कुशल संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोगों और मानवाधिकार न्यायालयों के गठन की व्यवस्था की गयी है।
2. राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 : स्त्रियों के अधिकारों के बेहतर संरक्षण के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन करने से सम्बन्धित अधिनियम।
3. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1995 : संविधान में अनुच्छेद 17 के अधीन अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है।
4. राष्ट्रीय पिछड़वर्ग आयोग अधिनियम, 1993
5. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम
6. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम : अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बेहतर संरक्षण के लिए रा.अ.आ.का गठन।
7. अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 : संविधान का अनुच्छेद 23, मनुष्य के व्यापार का निषेध करता है।
8. दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 : यह दहेज देने और लेने की कुप्रथा को निषेध करने वाला अधिनियम है।
9. सती (निवारण) अधिनियम, 1987
10. प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
11. बाल–विवाह अवरोध अधिनियम, 1929
12. बालक (श्रम गिरवीकरण) अधिनियम, 1933 : यह अधिनियम बच्चों के श्रम को बंधक के रूप में रखने का निषेध करता है।
13. बालक अधिनियम 1960 : इस अधिनियम में संघ शक्ति प्रदेशों में बच्चों की देख–रेख, संरक्षण, अनुरक्षण, कल्याण, प्रशिक्षण, शिक्षा और पुनर्वास तथा बिगड़े बच्चों के मुकदमों की सुनवाई के सम्बन्ध में व्यवस्था की गई है।
14. किशोर न्याय अधिनियम 1986 : यह अधिनियम उपेक्षित या बिगड़े बच्चों की देख–रेख, संरक्षण, इलाज, विकास और पुनर्वास सम्बन्धी नियमों का विधान करता है और बाल न्याय प्रणाली के प्रति विशेष दृष्टिकोण रखता है।
15. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 : यह अधिनियम मानसिक रूप से रूग्ण व्यक्तियों के पागलपन, अधिग्रहण, देख–रेख और उपचार के निर्धारण का नियमन करता है।
16. बंधित श्रम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम, 1976 : संविधान का अनुच्छेद 23 बेगार और इसी प्रकार के अन्य बंधित श्रम का निषेध करता है और यह व्यवस्था करता है कि उक्त निषेध का कोई भी उल्लंघन कानून के अनुसार दण्डनीय अपराध होगा।

डा. अम्बेडकर धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में एक व्यक्ति एक मूल्य के पक्षधर थे। वह ऐसी सरकार चाहते थे, 'जो जनता की सरकार हो, जनता द्वारा संचालित सरकार और जनता का हित–कल्याण करने वाली सरकार हो।' जब वे संविधान निर्मात्री समिति के चेयरमैन बनें तो उन्होंने भारतीय संविधान का गणतन्त्रात्मक प्रारूप तैयार किया

जिसके आधार–स्तम्भ समानता, स्वतन्त्रता, न्याय और बन्धुत्व हैं।

डा. अम्बेडकर मानते थे कि सरकार ही एक ऐसा संगठन है, जोः–

1. जनता की जीवन रक्षा, स्वतन्त्रता, सुख, भाषा और धर्म पालन के अधिकारों की रक्षा करता है।
2. दलित और पिछड़े वर्गों को समान अवसर प्रदान करके सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करता है।
3. राष्ट्र के हर नागरिक को अभाव और भय से मुक्ति प्रदान करता है। स्वतन्त्रता से पूर्व डा. अम्बेडकर ने राजनैतिक आजादी के साथ– साथ विभिन्न अधिकारों की भी लड़ाई लड़ी। वे कहते थे कि स्वतन्त्रता मात्र राजनैतिक नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक भी होनी चाहिए।

डा. अम्बेडकर का विचार है कि युवा वर्ग का कर्तव्य है कि वह आर्थिक और सामाजिक क्रान्ति के लिए सशक्त जनमत तैयार करे। जनता को सतर्क एवं जागृत करे ताकि वर्तमान पीढ़ी भी नव पीढ़ी का साथ दे सके यह सम्भव है लेकिन तब जब युवा वर्ग त्याग, बलिदान, रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए निरर्थक परम्परावाद, क्षेत्रीयतावाद, भाषावाद, उद्दण्डता, अलगाववाद, आतंकवाद, नग्न राजनीति, धनलोलुपता आदि को तिलांजलि दे। आत्यसंयम तथा अनुशासन में रहकर अपनी सामर्थ्यानुसार लक्ष्यात्मक एकता स्थापित करके जनता एवं जनमत को अपने पक्ष में करे। डा. अम्बेडकर कहते थे कि आदमी स्वयं प्रयत्न करे तो अपनी व्यवस्था अपने मूल्यों और संस्थाओं को बदल सकता हैं यही दर्शन ही हमारे संविधान का मूलमन्त्र है।डा. अम्बेडकर कहते थे कि राष्ट्रीय सम्पदा का इस प्रकार विदोहन हो कि सामूहिक हित को प्राथमिकता मिले, धन तथा उत्पादन के साधनों का कुछ लोगों के हाथों में एकत्रीकरण न हो, जिससे सर्वसाधारण का अहित हो, सभी को समान न्याय मिले, निर्धन लोगों को विधिक सहायता, काम, शिक्षा और लोक–सहायता पाने का अधिकार हो, काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशायें हों, श्रमिकों को निर्वाह मजदूरी मिले, सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता हो, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रबन्ध हो, दुर्बल वर्गों के हितों की रक्षा हो, नागरिकों का जीवन स्तर ऊँचा उठे और उनके स्वास्थ्य एवं पोषाहार का ध्यान रखा जाये, पर्यावरण का सुधार एवं संरक्षण हो आदि।

इस प्रकार स्पष्ट है कि राज्य के नीति–निर्देशक तत्वों में बहुत कुछ अन्तर्निहित है, जिसे नवपीढ़ी को समझना और कारगर बनाना होगा। आज की जटिल एवं विषम परिस्थितियों को देखते हुए नीति निर्देशन सिद्धान्तों को मौलिक अधिकारों के रूप में परिवर्तित किया जाना चाहिए, तॉकि उन्हें व्यवहारिक बनाया जा सके अन्यथा प्रत्येक निर्वाचित सरकार उसको नजरअन्दाज करती रहेगी।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1 दलितों के मसीहा–डा. राधेश्याम अग्रवाल विगत; हिन्दी सेवा सदन, मथुरा, 1987,
2. डा. अम्बेडकर : चिन्तन और विचार–डा. राजेन्द्र मोहन भटनागर, जगतराम एण्ड सन्स, नई दिल्ली, 2000,
3. डा. अम्बेडकरःजीवन और दर्शन–डा. राजेन्द्र मोहन भटनागर, किताबघर, दरियागंज, नई दिल्ली, 1990
4. डा. अम्बेडकर एक प्रखर विद्रोही : डा. डी.आर. जाटव ए.वी.डी. पब्लिशर्स, जयपुर प्रथम संस्करण, 2004,

*****